रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2006.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 18 नवम्बर, 2006/27 कार्तिक, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय भू-व्यवस्था अधिकारी, शिमला मण्डल, शिमला

अधिसूचना बाबत तजवीज अकसाम आराजी

शिमला-9, 18 अक्तूबर, 2006

संख्या रैव० (एस० टी०) एसएमएल/ए०-न०प० घु०-1/2006-354.—नगर पंचायत घुमारवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का कार्य भू-व्यवस्था विशेष पुनरावृत्ति भू-अभिलेख आरम्भ हो चुका है । हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व साधारण निर्धारण नियम, 1984 के नियम 4 और हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व विशेष निर्धारण नियम, 1986 के नियम 4 के अन्तर्गत बंदोबस्त हाल में अकसाम आराजी प्रयुक्त की जानी है, उनका परिभाषा सहित विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार से है :—

कृष्ट :

1. कुहली अव्वल.—वह भूमि जिसमें साल में दो फसलें काश्त होती हों, पानी आवश्यकतानुसार सिंचाई के लिए मिलता हो तथा फसल खरीफ में धान की फसल काश्त होती हो ।

2. कुहली दोयम.—वह भूमि जिसमें साल में दो या दो साल में तीन फसलें काश्त होती हों, पानी सिंचाई के लिए आवश्यकता से कम मिलता हो तथा धान की फसल काश्त की जाती हो ।

2446-राजपत्र/2006-18-11-2006—1,434. (7455) मूल्य : 1 रुपया ।

3. कुहली सोयम.—वह भूमि जिसमें साल में एक फसल धान की काश्त होती हो।

4. बागीचा कुहली अव्वल फलदार.—वह भूमि जिसमें फलदार पेड़ आम, पलम, आड़ू, खुमानी आदि लगाए गए हों में आवश्यकतानुसार पानी मिलता हो।

5. बागीचा कुहली दोयम फलदार.—वह भूमि जिसमें फलदार पेड़ नीबू, गलगल, केला, नाशपाती आदि लगाए गए हों, आबपाश भी आवश्यकतानुसार की जाती हो।

6. आबी.—वह भूमि जो जल उठाऊ योजना द्वारा सिंचित की जाती हो।

7. बारानी अव्वल.—वह भूमि जिसमें साल में दो फसलें काश्त होती हों व आबादी के नजदीक हो तथा वर्षा पर निर्भर हो।

8. बारानी दोयम.—वह भूमि जिसमें साल में दो या दो साल में तीन फसलें काश्त होती हों आबादी से दूर हो तथा वर्षा पर निर्भर हो।

9. बारानी सोयम.—वह भूमि जो आबादी से काफी दूरी पर हो साल में एक ही फसल काश्त होती हो तथा वर्षा पर निर्भर हो।

10. बागीचा बारानी अव्वल फलदार.—वह भूमि जिसमें फलदार पेड़ आम, पलम, नाख, खुमानी, आड़ू आदि के लगाए गए हों और वर्षा पर निर्भर हो।

11. बागीचा बारानी दोयम फलदार.—वह भूमि जिसमें फलदार पौधे नींबू, गलगल, केला, नाशपाती आदि लगाए गए हों और वर्षा पर निर्भर हो।

12. सैलाबी.—वह भूमि जिस में बरसात के मौसम में काफी पानी निकलता हो साल में एक फसल अकसर धान की होती हो।

अकृष्ट :

1. बंजर जदीद.—वह भूमि जो पहले काश्ता थी परन्तु लगातार दो वर्ष से बिला काश्त रही हो तथा चार वर्ष से अधिक बिला काश्त न रही हो।

2. बंजर कदीम.—वह भूमि जो पहले काश्ता थी परन्तु चार वर्ष से अधिक काश्त न रही हो।

3. खडैतर.—जमीनदारान का वह मलकीयती रकबा जो घास के लिए रखा हो तथा मौसम बरसात में घास कटाई तक पशुओं को चरांद के लिए इश्तेमाल न किया जाता हो।

4. बनवास.—जमीनदारान का वह मलकीयती रकबा जिसमें बांस व बांसुड़ियां पाई जाती हों।

5. चरागाह.—वह मलकीयती सरकारी रकबा जिसमें दरख्तान उस्तादा हो और जमीनदारान के हकूक घास कटाई व चराई के हों।

6. जंगल मैहफुजा गैर मैहद्दूदा .—वह मलकीयत सरकार का रकबा जिसमें ठडाबंदी हुई हो और जंगल मैहफुजा गैर मैहद्दूदा करार पाया हो।

7. जंगल मैहफुजा मैहद्दूदा.—वह मलकीयत सरकार का रकबा जिसकी ठडाबंदी हुई हो और जंगल मैहफुजा मैहद्दूदा करार पाया हो।

8. जाए सफेद.—व्यक्तिगत या संयुक्त मलकीयत की ऐसी भूमि जो मकान के साथ या दूसरी जगह खाली पड़ी हो।

9. जाए सरकार.—सरकारी मलकीयत की ऐसी उसर भूमि जो खाली पड़ी हो जिसमें वृक्ष आदि उस्तादा न हो और न ही चरांद आदि में प्रयोग में लाई जाती हो।

10. फुलवाड़ी.—ऐसी भूमि जिसमें कई प्रकार के फूल उगाए जाते हों।

11. नरसरी.—सरकार की मलकीयत की ऐसी भूमि जिसमें वृक्षों के दीज उगा कर पौधे तैयार किए जाते हों। (यदि मालिकान की निजी मलकीयती भूमि में पौधशाला लगाई जाती है तो उस भूमि की किस्म बाखल अब्बल या दोयम जैसी भी सूरत हो दर्ज कागजातमाल की जा कर काश्त स्वयं मालिक या मालिकान दर्ज होगी)।

12. गैर मुमकिन पन चक्की.—ऐसी भूमि जिसमें पानी की शक्ति से चलने वाला घराट तथा धानकुट्टी, कोहलू, आरा मशीन व दूसरी मशीन सम्मिलित हो।

13. गैर मुमकिन मशीन आटा पिसाई, आरा.—ऐसी भूमि जिसमें बिजली व डीजल से चलने वाली मशीनें आटा पिसाई, धानकुट्टी, कोहलू, आरा, रूई व ऊन पिंजाई आदि।

14. गैर मुमकिन मकान पक्का.—ऐसी भूमि जहां पर कंकर पत्थर या पक्की ईंटों से एक मंजिला/बहुमंजिला मकान बनाया हो।

15. गैर मुमकिन मकान कच्चा.—ऐसी भूमि जिसमें एक/बहुमंजिला मकान कच्चा बना हो कंकर पत्थर व पक्की ईंटों से तैयार न किया हो।

16. गैर मुमकिन रसोईघर.—ऐसी भूमि जिस पर कच्ची या पक्की एक/बहुमंजिला मकान बना हो जिसका प्रयोग रसोईघर के तौर पर किया जाता हो।

17. गैर मुमकिन शौचालय.—ऐसी भूमि जिस पर कच्चा या पक्का भवन बना हो जो शौचालय के तौर पर प्रयोग किया जाता हो।

18. गैर मुमकिन स्नानगृह.—ऐसी भूमि जिस पर कच्चा या पक्का एक/बहुमंज़िला भवन बना हो तथा स्नानगृह के तौर पर प्रयोग किया जाता हो।

19. गैर मुमकिन गौशाला.—ऐसी भूमि जिस पर कच्चा या पक्का भवन बना हो, जो पशुओं को रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती हो।

20. गैर मुमकिन गड्ढाखाद.—ऐसी जगह जहां खाद के लिए गड्ढा बनाया गया हो और उसमें खाद इक्ट्ठी की जाती हो।

21. गैर मुमकिन सीढ़ियां.—ऐसी कच्ची या पक्की सीढियां जो चलने के लिए रास्ते के तौर पर बनाई गई हों ।

22. गैर मुमकिन सेफटीटैंक.—ऐसी भूमि जहां पर टैंक बना हो जिसमें मल-मूत्र इक्ट्ठा किया जाता हो ।

23. गैर मुमकिन टैंक पानी.—वह स्थान जहां पानी को इक्ट्ठा रखने के लिए टैंक बना रखा हो ।

24. गैर मुमकिन गोदाम.—ऐसी भूमि जिसमें कच्चा या पक्का भवन बना हो जिसमें वस्तुएं भण्डार के तौर पर रखी जाती हों ।

25. गैर मुमकिन खलयाण.—वह स्थान जिसमें फसल को भूसा से अलग किया जाता हो ।

26. गैर मुमकिन सैहन.—ऐसी भूमि जो भवन के साथ लगती हो हर समय खाली रहती हो तथा मालिक उसे निजी कार्य में प्रयोग करता हो ।

(उक्त प्रस्तावित किस्म नम्बर 14 ता 25 यदि एक ही मलकीयत/कब्जा की एक ही जगह स्थित है तो ऐसी सूरत में किस्मवार अलग-अलग नम्बरान खसरा में पैमूद करने की आवश्यकता नहीं अलबत्ता इन सभी किस्मों को एक ही नम्बर खसरा पर पैमूद करके उसकी किस्म हस्ब सूरत मौका "गैर मुमकिन मकान" आदि दर्ज कागजात माल किया जाए) ।

27. गैर मुमकिन दुकान कच्ची.—ऐसी भूमि जिस पर बने भवन जो कच्ची ईंटों से तैयार किया गया हो, जिसकी एक या बहुमंजिला हो, जिसमें लोगों की आवश्यकता की वस्तुएं बेची व खरीदी जाती हैं ।

28. गैर मुमकिन दुकान पक्की.—ऐसी भूमि जिस पर पक्का भवन जो कंकर पत्थर या पक्की ईंटों से तैयार किया गया हो, जिसकी एक या एक से अधिक मंजिलें हों जिसमें लोगों की आवश्यकता की वस्तुएं खरीदी व बेची जाती हों ।

29. गैर मुमकिन मकान व दुकान.—ऐसी भूमि जिस पर एक/बहुमंजिला भवन बना हो जिसे रहने व दुकान के तौर पर प्रयोग किया जाता हो ।

30. गैर मुमकिन गैरीज.—ऐसी भूमि जिस पर बने भवन में गाड़ियां खड़ी की जाती हों ।

31. गैर मुमकिन टी स्टाल.—ऐसी भूमि जिस पर कच्ची या पक्की दुकान बनी हो जिसमें चाय आदि बनाई जाती हो और चाय के साथ खाने वाली वस्तुएं भी उपलब्ध की जाती हों ।

32. गैर मुमकिन ढाबा.—ऐसी भूमि जिसमें कच्ची या पक्की दुकानें बनी हों जिसमें खाना बना कर परोसा व खिलाया जाता हो ।

33. गैर मुमकिन होटल.—ऐसी भूमि जिसमें एक/बहुमंजिला भवन बना हो तथा उसमें यात्रियों को खाना बना कर खिलाया जाता हो और ठहरने का भी प्रबन्ध हो ।

34. गैर मुमकिन रैस्टोरेंट.—वह भूमि जिसमें बने कच्चे/पक्के एक मंजिला या बहुमंजिला भवन का प्रयोग बतौर रैस्टोरेंट होता हो ।

35. गैर मुमकिन खोखा.—ऐसी भूमि जिस पर लकड़ी के तख्तों, चादर इत्यादि से आरजी तौर पर खोखा तैयार किया गया हो, जिसे प्राय: फल, चाय, खाना तैयार करना व रहने के तौर पर प्रयोग में लाया जाता हो ।

36. गैर मुमकिन बाबड़ी, कुंआ, तालाब, चश्मा.—ऐसी भूमि जहां पानी उपलब्ध/इक्ट्ठा रहता हो जहां से पानी पीने व अन्य प्रयोग के लिए प्राप्त किया जाता है।

37. गैर मुमकिन टाबर व ट्रांसफारम.—वह भूमि जिसमें बिजली, दूरदर्शन, मोबाईल आदि के संचालन की सुविधा हेतु टाबर लगे हों ।

38. गैर मुमकिन हवाघर.—वह भूमि जहां पर लोगों को सुबह व शाम की सैर के समय विश्राम करने को बनाया गया हो।

39. गैर मुमकिन संग्रहालय.—वह भूमि जहां पर विभिन्न प्रकार की पुश्तैनी मूर्तियां, तस्वीर व औजार आदि रखे होते हैं ।

40. गैर मुमकिन बूत मूर्ति.—वह भूमि जहां किसी महापुरुष की मूर्ति स्थापित हो ।

41. गैर मुमकिन दूरभाष घर, डाकघर, पुलिस स्थान व दमकल केन्द्र आदि.—ऐसी भूमि जहां पर सरकारी कार्यालय के लिए भवन बनाए गए हों ।

(इसमें सरकारी सभी कार्यालय शामिल किए जाएं जैसे दूरभाष केन्द्र, डाकघर, पुलिस थाना, नगर पंचायत, स्कूल, पटवार खाना, विद्युत विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य व दमकल केन्द्र इत्यादि) ।

42. गैर मुमकिन वर्कशाप.—ऐसी भूमि जिसमें सरकारी या गैर सरकारी भवन बना हो जिसमें खराब गाड़ियों की मुरम्मत की जाती हो ।

43. गैर मुमकिन मन्दिर, गिरजाघर व इदगाह.—वह भूमि जिसमें बने भवन में अपने मतानुसार पूजा, प्रार्थना इत्यादि की जाती हो ।

44. गैर मुमकिन धर्मशाला.—वह भूमि जिसमें एक/बहुमंजिला भवन बना हो तथा उसमें यात्रियों आदि को ठहरने का प्रबन्ध हो ।

45. गैर मुमकिन चिकित्सालय.—वह भूमि जिसमें बने भवन में रोगियों का इलाज किया जाता है ।

46. गैर मुमकिन मैदान.—वह भूमि जिसमें खेलकूद के लिए खाली जगह रखी गई हो।

47. गैर मुमकिन गली.—ऐसी भूमि जो दो मकानों के बीच की खाली जगह पड़ी हो।

48. गैर मुमकिन नाली.—ऐसी भूमि जिसमें से पानी के निकासी के लिए नाली बनाई गई हो ।

49. गैर मुमकिन रास्ता/सड़क.—ऐसी भूमि जहां से लोगों को चलने व सरकारी या गैर सरकारी वाहनों को चलाने के लिए रास्ता या सड़क बना रखी हो ।

50. गैर मुमकिन खण्डहर.—ऐसी भूमि जहां कभी भवन बनाया गया था जो बाद में किसी कारण गिर गया हो और उस पर पुनः मकान आदि न बनाया गया हो तथा पूर्व मकान का मलवा आदि वहां विद्यमान हो ।

51. गैर मुमकिन दुग्ध अभिशीतन केन्द्र.—वह भूमि जिसमें बने भवन में दूध एकत्र किया जा कर ठण्डा किया जाता है और बाद में उसे वितरण के लिए भेजा जाता है ।

52. गैर मुमकिन ढांक.—ऐसी पत्थरीली भूमि जो किसी कार्य के प्रयोग में न लाई जा सकती हो क्योंकि उसका अधिकांश भाग बड़े पत्थरों के रूप में हो ।

53. गैर मुमकिन सिनेमाघर.—वह भूमि जिसमें बने भवन में चलचित्र का कार्यक्रम दिखाया जाता हो।

54. गैर मुमकिन पार्क.—वह भूमि जिसमें मनुष्यों को घूमने, बैठने के लिए स्थान बनाए गए हों।

55. गैर मुमकिन शमशानघाट/कबरीस्थान.—ऐसी भूमि जहां पर मृत्तक के दाह संस्कार/दफनाने की रस्म अदा की जाती हो ।

56. गैर मुमकिन पैट्रोल पम्म.—ऐसी भूमि जहां पर पैट्रोल पम्प बना रखा हो।

57. गैर मुमकिन क्वार्टर.—वह भूमि जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिहाईश के लिए भवन बना रखे हों ।

58. गैर मुमकिन वर्षा शालिका.—ऐसी भूमि जहां पर यात्रियों को वर्षा व बस की प्रतीक्षा के समय रुकने के लिए वर्षा शालिका बना रखी हो ।

59. गैर मुमकिन उद्योग.—ऐसी भूमि जिसमें किसी वस्तु के निर्माण के लिए भवन बना रखे हों ।

60. गैर मुमकिन विश्राम गृह.—वह भूमि जिसमें बने भवन में अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों तथा यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था हो। ऐसे भवन का निर्माण सरकारी विभाग से लोक निर्माण विभाग या वन विभाग आदि ने किया हो ।

61. गैर मुमकिन जल-उठाऊ गृह.—वह भूमि जिसमें बने भवन से मशीन द्वारा जल उठाने व वितरण की व्यवस्था हो ।

62. गैर मुमकिन नाला.—ऐसी भूमि जहां से पानी की निकासी हो ।

63. गैर मुमकिन बस अड्डा.—ऐसी भूमि जहां पर बसें आते-जाते समय रुकती हों तथा वहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई हो ।

64. गैर मुमकिन छात्रावास.—ऐसी भूमि में बने भवन जिसमें छात्र व छात्राओं के आवास हों।

65. गैर मुमकिन हैण्डपम्प—ऐसी भूमि जहां पर भूमिगत नल से पानी निकाला गया हो ।

66. गैर मुमकिन कुहल/नहर.—ऐसी भूमि जहां से सिंचाई के लिए पानी ले जाया जाता हो ।

67. गैर मुमकिन खड्ड.—ऐसी भूमि जहां से भारी मात्रा में पानी बहता हो ।

अतः नगर पंचायत घुमारवीं, जिला बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (साधारण) निर्धारण नियम, 1984 के नियम 14 के अर्थानुसार यह विज्ञापन जारी करके सूचित किया जाता है कि यदि किसी महानुभाव को उक्त प्रस्तावित अकसाम आराजी बारे कोई ऐतराज हो या सुझाव आदि प्रेषित करना हो तो इस विज्ञापन की वसूली के 30 दिनों के अन्दर-अन्दर लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रेषित करें, विहित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद कोई भी उजर/ऐतराज या सुझाव मान्य नहीं होगा ।

हस्ताक्षरित/-
भू-व्यवस्था अधिकारी,
शिमला मण्डल, ब्लाक नम्बर 39,
एसडीए परिसर, कसुम्पटी शिमला-9.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित